



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
01509-220005, 223877 (ऑफिस)
फैक्स-01509-220068, 223877 (ऑफिस)

क्रमांक:- सीएसएफ/सूरत/2-271/जुलीफ्लोरा/2015- दिनांक :-

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राज0) के विभिन्न चकों में खड़े जुलीफ्लोरा, अवांछनीय पौधे, व झाड़ियों को जमीन की सतह से काटकर, कुत्तर बनाकर तथा जड़ों को खोदकर से ले जाने के लिए "जहाँ है जैसे है" के आधार पर तथा खड़े पेड़ों की चार ईंच तक मोटी लकड़ी की छंगाई के लिए खुली बोली/निविदाएं (पैन नम्बर धारक से) दिनांक 15.10.2015, 20.10.2015, व 26.10.2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक ली जायेगी। तथा 2.30 पर खोली जायेंगी। जिसके साथ धरोहर राशि रुपये 10,000/- प्रति चक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के पक्ष में देय हो फार्म खजांची के पास जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाइट www.nsclimited.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। उपरोक्त कार्य का विवरण, नियम व शर्त किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से रुपये 100/- नकद जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता को स्थाई पते की छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी ।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जूलीफ्लोरा (विलायती बबूल) व अन्य अवांछनीय पौधों एवं झाड़-झंखाड़ को जमीन की सतह से काटने व खड़े पेड़ों की 8-10 फुट ऊंचाई तक 4 ईन्च मोटी लकड़ी की छंगाई करके तथा जमीन की सतह से काटे गए अवांछनीय पौधों की कुत्तर बनाकर तथा जड़ें खोदकर ले जाने हेतु नियम व शर्तें

1. निविदा/बोलीदाता को निविदा/बोली में भाग लेने से पूर्व फार्म खजांची के पास धरोहर राशि के रूप में रुपये 10,000/- मात्र का डीडी जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, प्रत्येक चक के लिये सायं 2.00 बजे तक जमा कराना होगा। जूलीफ्लोरा (विलायती बबूल) व अन्य अवांछनीय पौधों एवं झाड़-झंखाड़ को जमीन की सतह से काटने व खड़े पेड़ों की 8-10 फुट ऊंचाई तक 4 ईन्च मोटी लकड़ी की छंगाई करके कुत्तर बनाकर तथा जमीन की सतह से काटे गए अवांछनीय पौधों को जमीन से खोदकर जड़ सहित ले जाना होगा। निविदाएँ सायं 2.30 बजे खोली जाएगी। सफल बोलीदाता/निविदादाता की अमानत राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी तथा असफल बोलीदाता/निविदादाता की राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी।
2. जूलीफ्लोरा (विलायती बबूल) व अन्य अवांछनीय पौधों एवं झाड़-झंखाड़ को जमीन की सतह से काटना व खड़े पेड़ों की 8-10 फुट ऊंचाई तक 4 ईन्च मोटी लकड़ी की छंगाई करके लकड़ी की कुत्तर बनाकर ले जाना तथा जमीन की सतह से काटे गए अवांछनीय पौधों को जमीन से खोदकर जड़ें तौल के आधार पर ले जाना होगा तथा कांटे आदि को जलाना होगा। अग्रिम रकम जमा कराकर रिलीज ऑर्डर लेकर ले जाना होगा। कुत्तर व जड़ों की दर प्रति क्विण्टल फार्म में जमा करानी होगी।
3. ठेका स्वीकृत होने पर कार्य संबंधित चक प्रभारी द्वारा चिन्हित जगह से कार्य शुरू करना होगा।
4. जूलीफ्लोरा व दूसरे अवांछनीय पौधों को जड़ से खोदकर ले जाने के कार्य का क्षेत्र घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
5. कार्य का समय सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। कटी हुई लकड़ी को ले जाने हेतु तुलाई का कार्य सायं 5 बजे से पूर्व करना होगा। असामान्य स्थिति में जैसे ट्रैक्टर, ट्राली खराब होने पर निदेशक महोदय की स्वीकृति से समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
6. तौल की गई लकड़ियों की ट्राली को कटाई स्थान/फार्म क्षेत्र से तुरन्त बाहर निकालना होगा।
7. यदि ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा फार्म क्षेत्र में खड़े शीशम, कीकर व अन्य प्रजातियों के पेड़-पौधों का कार्य के दौरान यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका भी रद्द किया जा सकेगा।
8. पहले रिलीज आर्डर लेना होगा उसके बाद कटी हुई लकड़ी फार्म के धर्म कोंटे पर तुलवाकर ले जाना होगा।
9. प्रतिदिन 50 से 100 क्विण्टल लकड़ी/जड़ों को तौलकर ले जाने का कार्य करना होगा।
10. वेस्ट मैटेरियल, कोंटे इत्यादि को जलाकर साफ करना व खुदाई के बाद गड्ढों को भरना अनिवार्य होगा तथा इसके बाद ही आगे कार्य करने दिया जायेगा। फार्म क्षेत्र में कोई पशु नहीं रख सकेगा।
11. यह कार्य 30.09.2016 तक के लिए है इसको निदेशक महोदय द्वारा आवश्यकता अनुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
12. कार्य स्वीकृत होने के बाद ठेकेदार 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य हैं तथा इसके अनुसार ही कार्य करेगा।
13. यदि ठेकेदार कार्य बीच में छोड़ देता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका नाम फार्म की काली सूची में डाल दिया जायेगा।
14. यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सहप्रबन्धक-निदेशक को सन्दर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिटर) के द्वारा

विवाद का निपटान आर्बिट्रेशन एवं कोन्सिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत कराएँ। पक्षकरण पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।

15. आर्बिट्रेशन एवं कोन्सिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से संबंधित होगा।

**प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक**

**निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज0)
महोदय,**

फार्म द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार फार्म क्षेत्र से जूलीफ्लोरा (विलायती बबूल) व अन्य अवांछनीय पौधों एवं झाड़-झंखाड़ को जमीन की सतह से काटने व खड़े पेड़ों की 8-10 फुट ऊंचाई तक 4 ईन्च मोटी लकड़ी की छंगाई करके कुत्तर बनाकर तथा जमीन की सतह से काटे गए अवांछनीय पौधों की जड़ों को खोदकर, तौल के आधार पर ले जाने के टेण्डर :-

ब्लॉक नं०	चक नं०	जूलीफ्लोरा (विलायती बबूल) व अन्य अवांछनीय पौधों एवं झाड़-झंखाड़ को जमीन की सतह से काटने व खड़े पेड़ों की 8-10 फुट ऊंचाई तक 4 ईन्च मोटी लकड़ी की छंगाई करके कुत्तर बनाकर लेने हेतु । दर प्रति किंचंटल रूपयों में	जमीन की सतह से काटे गए अवांछनीय पौधों की जड़ों को खोदकर, तौल के आधार पर लेने हेतु । दर प्रति किंचंटल रूपयों में

ठेकेदार के हस्ताक्षर

ठेकेदार का नाम व पता

.....

मो०